प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 06 फरवरी, 2020**

विषय- उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में सृजित पदों की वर्ष 2020-21 हेतु क्रमागत निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2475/ए-157टी0सी0/यूपीआरआरडीए/2006, दिनांक-09.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में सृजित पदों की वर्ष 2020-21 हेतु क्रमागत निरन्तरता जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आगामी वित्तीय वर्ष में जारी रहने की सम्भावना के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में सृजित 40 अस्थायी पदों (जिनका विवरण संलग्न है) की दिनांक-28.02.2021 तक क्रमागत निरन्तरता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, बशर्ते ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक-02.12.1998 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-05/2020/पी-03(1)/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (लेखा)/अनुभाग-2
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- वित्त (सेवायें) अनुभाग-1
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-05/2020/पी-03/अड़तीस-9-20-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी0-।।।,
दिनांक- 06 फरवरी, 2020 का संलग्नक।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या व दिनांक।
1.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,	01	37400-67000 (ग्रेड पे-8900)	संख्या-1436/38-04-04-10(पीएमजीएसवाई)/03, दिनांक-10.07.2004
2.	वित्त नियंत्रक	01	37400-67000 (ग्रेड पे-8900)	तदैव।
3.	राज्य गुणवत्ता समन्वयक	01	37400-67000 (ग्रेड पे-8700)	तदैव।
4.	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,	01	15600-39100 (ग्रेड पे-7600)	तदैव।
5.	राज्य तकनीकी अधिकारी	01	15600-39100 (ग्रेड पे-7600)	तदैव।
6.	वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रक)	02	15600-39100 (ग्रेड पे-6600)	तदैव।
7.	वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-2)	03	9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	तदैव।
8.	सूचना अधिकारी	01	9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	तदैव।
9.	आई0टी0 कोआर्डिनेटर	01	15600-39100 (ग्रेड पे-7600)	तदैव।
10.	लेखाकार	04	9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	तदैव।
11.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	तदैव।
12.	एम0 एण्ड आई0 स्पेशलिस्ट	01	20,000 रू0 (नियम वेतनमान)	तदैव।
13.	अनुसेवक	06	नियत वेतन/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के आधार पर समय-समय पर संशोधनीय	तदैव।
14.	मुख्य अभियन्ता	01	संवर्गीय वेतनमान	संख्या-पी-18/अड़तीस-9-14-10 पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-21.07.2014
15.	अधीक्षण अभियन्ता	01	संवर्गीय वेतनमान	तदैव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

16.	अधिशासी अभियन्ता	02	संवर्गीय वेतनमान	तदैव।
17.	परामर्शी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	02	60,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति (नियत धनराशि)	तदैव।
18.	विधि अधिकारी	01	संवर्गीय वेतनमान	तदैव।
19.	कनिष्ठ सहायक	01	संवर्गीय वेतनमान (ग्रेड पे-2000)	तदैव।
20.	अनुसेवक	04	नियत वेतन/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के आधार पर समय-समय पर संशोधनीय	तदैव।
21.	वरिष्ठ सहायक	02	5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	संख्या-45/2015/पी-949/अड़तीस-9-2015-10(पीएमजीएसवाई)/2003, दिनांक-10.12.2015
कुल पद-		**40**		

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।